98

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्षः– श्री एस0 एस0 अली
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 5162–दो/2016 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 10–07–2015 के द्वारा न्यायालय राजस्व निरीक्षक मण्डल बैकुण्ठपुर तहसील सिरमौर जिला रीवा के प्रकरण कमांक 132/अ–12/2014–15.

....

1–रामलाल तनय राधिका रजक
2–श्यामलाल तनय राधिका रजक
3–चन्द्रशेखर तनय राधिका रजक
निवासीगण ग्राम बहेरा तहसील
सिरमौर जिला रीवा म0प्र0

––– आवेदकगण

विरूद्ध

1–जानकी देवी पटेल पत्नी महादेव पटेल
2–शेषमणि तनय जमुना रजक
निवासीगण ग्राम बहेरा तहसील
सिरमौर जिला रीवा म0प्र0

–––अनावेदकगण

....

श्री मोरध्वज सिंह , अभिभाषक, आवेदकगण
अनावेदक अनुपस्थित सूचना उपरांत उप0 नहीं

....

आदेश
(आज दिनांक 16/04/18 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक मण्डल बैकुण्ठपुर तहसील सिरमौर जिला रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.7.15 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2–प्रकरण का विवरण संक्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक जानकी देवी पटेल पति महादेव पटेल निवासी बहेरा द्वारा अपने स्वामित्व की खसरा नम्बर 27/1, 173/1 रकवा 0.416 के सीमांकन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। पटवारी हल्का नम्वर 24 को सीमांकन हेतु आदेश किया गया। पटवारी हल्का द्वारा सीमांकन कर प्रतिवेदन दिनांक 1.7.15 को प्रस्तुत किया गया। जिसे राजस्व निरीक्षक द्वारा मान्य करते हुये दिनांक 10.7.15 को आदेश पारित किया गया। इससे दुखित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3– आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने। उनके द्वारा उन्हीं बिन्दुओं को दौहराया गया है जो उनके द्वारा अपनी निगरानी मेमों में दर्शित किया गया है। प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। अध्ययन से स्पष्ट है कि अनावेदक जानकी देवी पटेल पति महादेव पटेल निवासी बहेरा द्वारा अपने स्वामित्व की खसरा नम्बर 27/1, 173/1 रकवा 0.416 के सीमांकन कार्य पटवारी द्वारा मय अभिलेख पैमाइसी सामान के सहायता से मुस्तकिल सीमा (बन्दोवस्ती सीमा) का आधार लेकर हल्का पटवारी के द्वारा आवेदक की उपस्थिति में सीमाकंन कार्य किया जाकर आवेदित आराजी के मेड़ो तिमेड़ों में साधारण किस्म के पत्थर गड़ाये गये एवं आवेदक व सरहदी कृषकों को सीमा का विधिवत ज्ञान कराया गया। बाद सीमांकन स्थल पटवारी द्वारा पंचनामा तैयार किया गया। मौके पर आराजी कमांक 173/1 में अंश भाग में 0.061 है0 में रामलाल पिता राधिका रजक का कब्जा दखल पाया गया

किन्तु उस समय लिखित आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण राजस्व निरीक्षक द्वारा आदेश पारित किया गया है। अनावेदिका द्वारा अपना सीमांकन कराया गया है। आवेदकगण चाहे तो वह अपना सीमांकन कराने के लिये स्वतंत्र हैं। राजस्व निरीक्षक मण्डल बैकुण्ठपुर तहसील सिरमौर जिला रीवा का आदेश दिनांक 10.07.2015 में कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। अतः उनका आदेश स्थिर रखने योग्य है।

4– उपरोक्त विवेचना के आधार पर राजस्व निरीक्षक मण्डल बैकुण्ठपुर तहसील सिरमौर जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 132/अ–12/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 10.07.2015 उचित होने से स्थिर रखा जाता है। परिणामस्वरूप आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर